न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 108/2019/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी

दायरा दिनांकः 12.12.2019

अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

मु. धापू पुत्री भैरू जाति नाई निवासी ग्राम डाबी हाल निवासी ग्राम साथेली तहसील तालेडा जिला बून्दी राज.

....अपीलांट

बनाम

1. कैलाश आत्मज मांगीलाल जाति नाई निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा
2. प्रकाश आत्मज मांगीलाल जाति नाई निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा
3. दिनेश आत्मज मांगीलाल जाति नाई निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा
4. मनोज बाई पुत्री मांगीलाल जाति नाई निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा
5. उमा कुमारी पुत्री मांगीलाल जाति नाई निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा
6. चित्रा कुमारी पुत्री मांगीलाल जाति नाई निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा
7. कान्ता बाई बेवा मांगीलाल जाति नाई निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा
8. जगदीश आत्मज छीतर जाति नाई निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा
9. रेखराज आत्मज राधेश्याम जाति नाई निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा
10. गायत्री पुत्री राधेश्याम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता सुशीला बेवा राधेश्याम जाति नाई निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा
11. कमलेश पुत्री राधेश्याम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता सुशीला बेवा राधेश्याम जाति नाई निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा
12. टीना पुत्री राधेश्याम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता सुशीला बेवा राधेश्याम जाति नाई निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा
13. हीरा पुत्री राधेश्याम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता सुशीला बेवा राधेश्याम जाति नाई निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा
14. हेमलता पुत्री राधेश्याम नाबालिग जर्ये संरक्षक माता सुशीला बेवा राधेश्याम जाति नाई निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा
15. सुशीला बेवा राधेश्याम जाति नाई निवासी ग्राम डाबी तहसील तालेडा जिला बून्दी राज.
16. इन्द्रा चौहान पत्नि रामनारायण जाति गूर्जर निवासी 22 गूजर बस्ती केवलनगर, कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील तालेडा
18. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील डाबी जिला बून्दी

...रेस्पोन्डेण्ट्स

उपस्थित : श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक –अपीलांट

श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1 एवं 8

श्री बृजमोहन गौतम एवं शोरीना बेगम अभिभाषक – रेस्पो0 2–7, 9, एवं 11–15

रेस्पो0 पेरोकार सरकार

3-12-2024

::निर्णय::

दिनांक 03.12.2024

अपीलांटा ने न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 113/अपील/2015 बउनवान मु. धापू बनाम कैलाश वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 04.11.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटा द्वारा नायब तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 6 दिनांक 22.09.1975 ग्राम डाबी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी को पेश की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा द्वारा अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से तथा विलम्ब का कोई समुचित एवं संतोषजनक कारण अपीलांटा द्वारा पेश करने में पूर्णतः असफल रहने के फलस्वरूप विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई यथोचित आधार नहीं होना मानते हुए प्रकरण में अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांटा मियाद बाहर पेश होने से निर्णय दिनांक 04.11.2019 से खारिज की गई।

2. प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2019 से व्यथित होकर अपीलांटा द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी का कथन है कि अपीलांट के पिता भैरू पिता बरधा जाति नाई साकिन भूति जिला भीलवाडा का 30–40 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। मृतक भैरू के वारिसानो ने एक पुत्र गौरू व पुत्री अपीलांट धापू मौजूद थी, किन्तु दिनांक 22.9.1975 को मृतक भैरू के सहोदर भाई छीतर का भी उसी समय निधन हो गया था जिसका नामान्तकरण खुलवाते वक्त मृतक छीतर के वारिसानो मृतक मांगीलाल, मृतक राधेश्याम व जगदीश द्वारा नामान्तकरण खुलवाते वक्त अपीलांट धापू के पिता भैरू को मृतक बताकर सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण अपने पक्ष मे खुलवा लिया है। मृतक छीतर के पुत्रो द्वारा उक्त भूमि को आपस में बंटवारा करके 1/3, 1/3 अपने पक्ष में नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी के यहां वाद प्रस्तुत कर आपस में बंटवारा करवा लिया गया जबकि भैरू को लाऔलाद बताकर नामान्तकरण संख्या 6 नायब तहसीलदार तालेडा द्वारा बिना किसी रिपोर्ट के एवं बिना किसी सुनवाई के उक्त नामान्तकरण छीतर के वारिसानो के पक्ष में खोल दिया गया उक्त तथ्य की अपीलांट को दिनांक 24.8.2015 को जानकारी हुई तो उक्त नामान्तकरण की नकल दिनांक 31.8.2015 को प्राप्त कर उक्त नामान्तकरण के विरुद्ध अपीलांट द्वारा नामान्तकरण की नकल मिलने एवं जानकारी होने में हुई देरी के लिए अपील के साथ देरी को क्षमा करने हेतु अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तकरण की सुनवाई की जाकर अपीलांट की अपील को काफी विलंब से प्रस्तुत किये जाने एवं विलंब का कोई समुचित व संतोषजनक कारण अपीलांट पेश करने मे पूर्णतः असफल रही ऐसे में विलंब को कन्डोन किये जाने का कोई यथोचित आधार नही मानते हुए अपील निर्णय दिनांक 04.11.2019 से खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तालेडा द्वारा मृतक भैरू के वारिसानो की जॉच किये बिना ही उक्त नामान्तकरण खोलने में त्रुटि की है,

3-12-2024
अति. सं. आयुक्त

अपीलांट के पिता के साथ–साथ उनके सहोदार भाई पैमा व उदा का भी उक्त नामान्तकरण से छीतर के वारिसानो का नाम दर्ज कर दिया गया था जिसके विरूद्ध उदा के वारिसान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त नामान्तकरण को खारिज कराये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की थी जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाकर नामान्तकरण संख्या 6 निरस्त फरमा दिया गया था किन्तु उक्त अपील में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया था। नामान्तकरण संख्या 6 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में अपील संख्या 84/2007 बउनवान भवाना बनाम मांगीलाल में अपीलांट एवं मृतक भैरू के वारिसानो को पक्षकार बनाये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31–1–2008 को अपील स्वीकार की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एवं राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई थी जिस पर राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर का निर्णय बहाल रखते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया गया किन्तु अपीलांट एवं मृतक भैरू के वारिसानो की कोई सुनवाई नही किये जाने से अपीलांट द्वारा पृथक से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के सिध्दान्तो के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 5 व 8 में दिये गये उत्तराधिकार प्रावधानो के विपरीत उक्त नामान्तकरण दर्ज किया गया है जबकि मृतक भैरू के वारिसान मौजूद होते हुए उनको सुनवाई का कोई अवसर नही दिये जाने से उक्त नामान्तकरण खारिज होने योग्य होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्राकृतिक न्याय के सिध्दान्तो की अवहेलना कर अपील खारिज फरमाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय को स्वयं ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रकरण का अंतिम तौर पर निस्तारण करना चाहिए था ऐसा न कर अपील को रिमाण्ड नही कर मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज फरमाने में विधिक त्रुटि की है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी का निर्णय दिनांक 04.11.2019 एवं इन्तकाल संख्या 6 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 अभिभाषक सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 6 दिनांक 22.09.1975 वाके ग्राम डाबी में विस्थित 32 बीघा भूमि के मूल खातेदार बरधा थे, जिनके चार पुत्र छीतर, भैरू, प्रेमा, उदा पि० बरधा जाति नाई निवासी भूती, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा थे। भैरू आ. बरधा अपीलांटा के पिता थे, जिनके वारिसानों में एक पुत्र गौरू व पुत्री अपीलांट धापू मौजूद थी। नामान्तरकरण खोलते समय नायब तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त भूमि के सहखातेदारान् के वारिसान को बिना सूचना दिये सभी सहखातेदारान् को मृतक बताते हुये उन सभी सहखातेदारान् के हिस्सेदारी की भूमि का फौती नामान्तरकरण केवल मात्र छीतर के वारिसान के पक्ष में ही खोल दिया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 6 दिनांक 22.09.1975 के बाबत अधीनस्थ न्यायालय में खातेदार उदा आ० बरधा के वारिसान भवाना आ. उदा द्वारा रेस्पो. के विरूद्ध अपने हिस्से तक अपील पेश की थी। उक्त अपील में मृतक भैरू के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया था तथा उक्त अपील पारित निर्णय दिनांक 31.01.2008 से स्वीकार की जाकर उक्त नामांतरकरण संख्या 6 दिनांक 22.09.1975 निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा एवं माननीय राजस्व

3-12-2024
अति. सं. आयुक्त
कोटा

मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई, जहां से उक्त आदेश दिनांक 31.01.2008 को बहाल रखा गया। लेकिन उक्त अपील में अपीलार्थी के पक्षकार नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण के संदर्भ में दिनांक 24.8.15 को जानकारी होने पर प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को काफी विलंब से प्रस्तुत किये जाने एवं विलंब को कन्डोन किये जाने का कोई यथोचित आधार नही मानते हुए अपील निर्णय दिनांक 04.11.2019 से खारिज करने में विधिक त्रुटि की गई है। केवल मियाद के आधार पर ही अपीलांट के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय न्यायोचित होने से अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.11.2019 को निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **2024(1) DNJ Rev- Page 731, 2017(3) DNJ Raj. Page No.1255, 1998 RRD HC Page no. 319, 2013 RRD HC Page No. 221, 2016-17 RRT Sup. Page No. 721, 1996 RRD Page No. 425, 2016 RRT 371** पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि वादग्रस्त नामांतरकरण संख्या 6 पूर्व निर्णित हो चुका है। उदा के वारिसान ने न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के यहां अपील पेश की, जिसमें निर्णय दिनांक 31.01.2008 से उक्त नामांतरकरण निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया गया। पुनः नामांतरकरण संख्या 6 को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नामांतकरण संख्या 6 दिनांक 22.09.1975 के संबंध में अपील प्रकरण सं0 84/2007 बउनवान भवाना बनाम मांगीलाल में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2008 में गुणावगुण पर परीक्षण किया जा चुका है तथा उक्त नामांतकरण को तस्दीक करते समय मृतक खातेदारान के वैध उत्तराधिकारियों की बाद जांच नियमानुसार पुनः नामांतरकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रश्नगत प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था। साथ ही अपीलांटा द्वारा अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से तथा विलम्ब का कोई समुचित एवं संतोषजनक कारण अपीलांटा द्वारा पेश करने में पूर्णतः असफल रहने के फलस्वरूप विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई यथोचित आधार नहीं होना मानते हुए प्रकरण में अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलार्थी मियाद बाहर पेश होने से निर्णय दिनांक 04.11.2019 से खारिज की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय दिनांक 04.11.2019 न्यायोचित है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2024(1) Page No. 693, RRT 2014(1) Page No. 364, RRD 1996 Page No. 587** पेश किये।

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 अभिभाषक पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटा द्वारा अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से तथा विलम्ब का कोई समुचित एवं संतोषजनक कारण अपीलांटा द्वारा पेश करने में पूर्णतः असफल रहने के फलस्वरूप विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई यथोचित आधार नहीं होना मानते हुए प्रकरण में अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांटा मियाद बाहर पेश होने से निर्णय दिनांक 04.11.2019 से खारिज की गई। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि नामान्तरकरण खोलते समय नायब तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त भूमि के सहखातेदारान् के वारिसान को बिना सूचना दिये सभी सहखातेदारान् को मृतक बताते हुये उन सभी सहखातेदारान् के हिस्सेदारी की भूमि का फौती नामान्तरकरण केवल मात्र छीतर के

2-12-2024

अति. सं. आयुक्त
अजमेर

वारिसान के पक्ष में ही खोल दिया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 6 दिनांक 22.09.1975 के बाबत अधीनस्थ न्यायालय में खातेदार उदा आ० बरधा के वारिसान भवाना आ. उदा द्वारा रेस्पो. के विरूद्ध अपने हिस्से तक अपील पेश की थी किंतु उक्त अपील में मृतक भैरू के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया था तथा उक्त अपील पारित निर्णय दिनांक 31.01.2008 से स्वीकार की जाकर निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई, जहां से उक्त आदेश दिनांक 31.01.2008 को बहाल रखा गया। लेकिन उक्त अपील में अपीलार्थी के पक्षकार नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण के संदर्भ में दिनांक 24.08.2015 को जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को काफी विलंब से प्रस्तुत किये जाने एवं विलंब को कन्डोन किये जाने का कोई यथोचित आधार नही मानते हुए अपील निर्णय दिनांक 04.11.2019 से खारिज करने में त्रुटि की है। इसके विपरित रेस्पो0 का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नामांतरकरण संख्या 6 दिनांक 22.09.1975 के संबंध में अपील प्रकरण सं0 84/2007 बउनवान भवाना बनाम मांगीलाल में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2008 में गुणावगुण पर परीक्षण किया जा चुका है तथा उक्त नामांतकरण को तस्दीक करते समय मृतक खातेदारान के वैध उत्तराधिकारियों की बाद जांच नियमानुसार पुनः नामांतरकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रश्नगत प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था। साथ ही अपीलांटा द्वारा अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से तथा विलम्ब का कोई समुचित एवं संतोषजनक कारण अपीलांटा द्वारा पेश करने में पूर्णतः असफल रहने के फलस्वरूप विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई यथोचित आधार नहीं होना मानते हुए प्रकरण में अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलार्थी मियाद बाहर पेश होने से निर्णय दिनांक 04.11.2019 से खारिज की गई।

7. उपरोक्त विवेचानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि नामांतरकरण संख्या 6 दिनांक 22.09.1975 न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के पूर्व आदेश दिनांक 31.01.2008 से निरस्त किया जा चुका है। उक्त निर्णयानुसार प्रकरण तहसीलदार बून्दी को प्रतिप्रेषित करते हुए सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाने का आदेश दिया गया। चूंकि नामांतरकरण संख्या 6 पूर्व में ही निरस्त हो चुका है। अतः उसी नामांतरकरण को पुनः निरस्त नहीं किया जा सकता। अपीलांटा को अधीनस्थ न्यायालय में इस संबंध में पक्षकार बनने की चाराजोही करनी चाहिए। अपीलांटा द्वारा 40 वर्ष के विलम्ब का भी कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2019 में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलीय न्यायालय) का निर्णय दिनांक 04.11.2019 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

3-12-2024

(ममता कुमारी तिवारी)
अति०संभागीय आयुक्त
कोटा